ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 14, Issue 5,May 2024 Impact Factor 8.232 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

ग्रामीण भारत में महिलाए: संभावनाए और चुनौतियां

संगीता मांझू

शोधार्थी श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़

डॉ. प्रेमलता यादव

शोध पर्यवेक्षक श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़

सार

भारतीय गाँवों में महिलाएँ कई भूमिकाएँ निभाती हैं जिनमें परिवार के सदस्यों की कई ज़रूरतों की देखभाल करना, घर की सुनिश्चित आय उत्पादक गतिविधियों (जैसे, पशुपालन, कृषि गतिविधियाँ) में योगदान देना और घर से बाहर नौकरी करना शामिल है। पितृसत्तात्मक भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी बेटियों, अच्छी पत्नियों और माताओं तक सिमट कर रह गई है। भारतीय समाज में महिलाओं के लिए पत्नीत्व और मातृत्व को आम तौर पर महत्वपूर्ण भूमिकाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है और उन सुझावों के अनुसार उन्हें कोई अलग पेशा नहीं अपनाना चाहिए। विशेष रूप से उच्च शिक्षा या विशेष प्रशिक्षण के लिए एक बार इसकी आवश्यकता होती है, जो उन्हें मुख्य घरेलू कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है। भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का अर्थ यह भी है कि परिवार इकाई संयुक्त घरेलू संरचना पर आधारित है, जहाँ केवल एक पुरुष घर का मुखिया होता है। आमतौर पर यह भूमिका पिता की होती है। वह बेटियों और बेटों दोनों के विवाह गठबंधन, संपत्ति खरीदने और बेचने के बारे में निर्णय और पारिवारिक संपत्ति को दैनिक जीवन में बनाए रखने के मामले में चुनाव करता है। घरेलू व्यवस्था की दृष्टि से परिवार की बड़ी महिला प्रभारी होती है।

मुख्यशब्द :- *ग्रामीण, भारत, संभावनाए, चुनौतिया*

परिचय

भारत गांवों का देश है क्योंकि इसकी अधिकांश आबादी गांवों और व्यापक दूरदराज के इलाकों में रहती है। प्रेरक विशेषता यह है कि देश का हर वर्ग अब शहरों से जुड़ा हुआ है; हालाँकि, अभी भी उसका अपना असामान्य पारंपरिक रवैया है। इसके अलावा अधिकांश ग्रामीण समुदायों में अभी भी शिक्षा, बिजली, उचित पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, पर्याप्त परिवहन आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं का अभाव है। लेकिन भारत के कई ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की कमी असाध्य साबित हो रही है और के रूप में

कार्य कर रही है। सामाजिक समस्याओं, बुराइयों और असामाजिक/राष्ट्रीय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।

महिलाएँ समाज में बहुपक्षीय भूमिका निभाती हैं अर्थात एक माँ, पत्नी, बेटी और समाज की सेवा प्रदाता के रूप में। इस तथ्य के बावजूद कि देश के विकास में महिलाओं का योगदान पुरुष के बराबर है, फिर भी वे कई सीमाओं का अनुभव करती हैं जो उन्हें विकास की अपनी क्षमता को समझने से रोकती हैं। इसी पृष्ठभूमि में दुनिया भर की सरकारों को महिलाओं के हितों और विकास प्रक्रिया के हर चरण में उनकी भागीदारी को प्राथमिकता देने की आवश्यकता महसूस हुई। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण वर्ष 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक है। महिला सशक्तिकरण शब्द महिलाओं की जीवन भर उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से लेने की क्षमता को इंगित करता है। जीवन के सभी पहलुओं में उसकी सफलता की पुष्टि करें। एक महिला वह व्यक्ति है जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करती है। वास्तव में भारत में अक्सर महिलाएं लैंगिक समानता के सवाल को तो छोड़ ही दें, अपनी गरिमा के मौलिक अधिकार से भी वंचित रह जाती हैं। वर्तमान पेपर भारत में महिलाओं के विकास के केंद्र में उन सवालों की पड़ताल करता है जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक प्रकृति के हैं। यह लेख भारत में महिलाओं के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों जैसे स्वच्छता के मुद्दे, शैक्षिक मान्यताएं, सामुदायिक रीति–रिवाज आदि से निपटने का प्रयास करता है। पेपर का उद्देश्य उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रणनीति विकसित करना है जो पुरुषों की तरह ही इंसान हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के बारे में धारणा का अध्ययन करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की पहचान करना।

शिक्षा का अर्थ

तृतीयक का अर्थ है माध्यमिक स्तर के बाद की शिक्षा। अधिकांश देशों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर अनिवार्य हैं, जबकि तृतीयक उच्च शिक्षा (पूर्व) कॉलेज, विश्वविद्यालय के किसी भी रूप को तृतीयक शिक्षा नहीं कहा जाता है। तृतीयक शब्द का अर्थ है ष्तीसराष और इसलिए तृतीयक शिक्षा शिक्षा के तीसरे चरण को संदर्भित करती है जिसे शिक्षार्थी सीखने की प्रक्रिया में अपनाते हैं। तृतीयक शिक्षा कॉलेजों (या) विश्वविद्यालयों में ली जाती है और इसे वस्तुतः (या) दूरी पर वितरित किया जा सकता

है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण बालिकाएँ एवं उच्च शिक्षा

यह माना जाता है कि औपचारिक शिक्षा लड़कियों की उच्च शिक्षा भागीदारी को प्रभावित करती है और यह लड़कियों की क्षमता के विकास को सुविधाजनक बनाती है। आजादी के बाद से महिलाओं की साक्षरता दर में लगातार सुधार हुआ है, हालांकि पुरुषों की तुलना में यह अभी भी बहुत कम है। उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित लड़कियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में छात्राओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

ग्रामीण छात्राओं को तृतीयक शिक्षा देने में समस्याएँ

छात्राओं को अपने करियर की संभावनाओं को विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ गंभीर समस्याएँ इस प्रकार हैं।

लड़के और लड़की के बीच शिक्षा का अंतर

लड़के और लड़की के बीच अंतर की शिक्षा सबसे पहले परिवार में दी जाती है। बिन बुलाए और अवांछित बालिका, जो बालक की तुलना में उचित भोजन, प्यार और देखभाल से वंचित है। जिनकी शिक्षा गौण महत्व की है और जिन्हें किसी भी गतिविधि को छोड़कर खेलने (या) भाग लेने की अनुमति नहीं है। घर के कामकाज और भाई–बहन की देखभाल से एक महिला किशोरावस्था में अपेक्षित स्त्रीत्व और विवाह लक्ष्यों के साथ विकसित होती है। इसलिए शारीरिक, व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रतिबंधित है। उसके पालन–पोषण से उच्च शिक्षा की तैयारी नहीं होती।

शिक्षण संस्थानों

घर के बाद जो स्थान बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करता है वह है स्कूल। यहां बच्चों को किताबों, पाठ्यक्रम लेनदेन, विषयों के आवंटन, एसयूपीडब्ल्यू गतिविधियों में कुछ सह–पाठ्यक्रम गतिविधियों में भागीदारी आदि में लिंग–पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी, उनमें पूर्वाग्रह का प्रचार किया जाता है। इस प्रकार बालिका शिक्षा की गुणवत्ता शैक्षिक गुणवत्ता से मेल नहीं खाती।

समाज में व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत विकास

कई समाज घोर लिंग–पक्षपाती हैं। एक लड़की से परिवार, पड़ोसियों और अन्य सामाजिक समूहों की अपेक्षाएँ (पारंपरिक) महिलाओं की होती हैं" जिसे मेरे बारे में कोई मतलब नहीं है, वह आज्ञाकारी प्रतिबद्ध गृहिणी, आज्ञाकारी गोरी और बहू और एक त्याग करने वाली माँ है। वह विनम्र, मृदुभाषी, आरक्षित, विनम्र, सहिष्णु है और पति और उसके परिवार द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध नहीं करती है। शिक्षा में ड्रॉपआउट के आंकड़ों को जन्म देने वाले सामान्य और अंतर्निहित कारण जटिल हैं। वे हैं गरीबी, अशिक्षा, कमजोर पारिवारिक संरचना, अपर्याप्त पालन–पोषण और अत्यधिक बोझ वाली उच्च शिक्षा प्रणाली।

ग्रामीण क्षेत्र में लैंगिक असमानता और शिक्षा

ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा प्रमुख कारक है, जो केवल पुरुष और महिला के लिए अलग–अलग धारणा की श्रृंखला शुरू कर सकती है। शिक्षा तक पहुंच में साक्षरता जैसे प्रमुख संकेतक और इनमें से प्रत्येक संकेतक से पता चलता है कि उनके पुरुष समकक्ष का स्तर कितना पीछे है। महिलाओं के लिए कम वयस्क साक्षरता दर महिलाएं हैं और इस प्रकार जरूरी नहीं कि हाल की प्रगति पर कब्जा हो। समस्या उपस्थिति भी अविश्वसनीय रूप से कम पाई गई है। ग्रामीण लड़कियाँ विकलांग हैं। आंकड़ों के अनुसार, शिक्षा तक पहुंच में लैंगिक असमानता के बढ़े हुए पैटर्न के साथ लड़कियों का स्कूल छोड़ने का अनुपात बढ़ गया है, जो शहरी से लेकर ग्रामीण और समाज में वंचित समूह तक पहुंच में प्रतीत होता है।

उच्च शिक्षा में छात्राओं के बीच असंतुलन और ड्रॉपआउट

उच्च शिक्षा में असंतुलन परिसरों की दूरी के बजाय शिक्षा की प्रासंगिकता के प्रति परिवार और समुदाय के दृष्टिकोण में अंतर को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, छात्राओं की दर में ड्रॉपआउट के कारण कारक प्रमुख रूप से हैं। सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण छात्राओं पर शक्तिशाली सामाजिक प्रभावों का प्रभाव वरिष्ठ स्कूली शिक्षा (या) विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए पात्रता के अंतिम वर्षों से काफी पहले ही स्पष्ट हो जाता है – चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल पूरा करने की दर कम है, इसलिए कई ग्रामीण छात्राएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। उस बिंदु तक पहुंचें जहां उच्च शिक्षा में संभावित बाधाओं के बारे में बात करना सार्थक है। ग्रामीण छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा को जीवन और रोजगार के लिए कम प्रासंगिक माना जा सकता है, और स्कूल पूरा करना और विश्वविद्यालय जाना बिल्कुल मानक नहीं है जैसा कि कुछ शहरी क्षेत्रों में हो सकता है। ये असंतुलन ग्रामीण और शहरी छात्राओं के बीच और निम्न सामाजिक

आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भारतीयों और मध्यम और उच्च सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले भारतीयों के बीच हैं। सभी निम्न और मध्यम सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली उच्च शिक्षा छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है।

बालिका शिक्षा की आवश्यकता

महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं को पर्याप्त और कार्यात्मक शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी राष्ट्र कितना भी समृद्ध या विशाल क्यों न हो, उसके सभी नागरिकों (पुरुष और महिला दोनों) के लिए प्रभावी, कुशल, पर्याप्त और कार्यात्मक शिक्षा के बिना, ऐसी शिक्षा जो उसकी तात्कालिक जरूरतों, लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हो, ऐसे राष्ट्र अपने आप में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार की शिक्षा की वकालत की जा रही है वह उस प्रकार की शिक्षा है जिसमें आत्म–प्राप्ति की भावना और देश के समग्र विकास के लिए आवश्यक सभी चीजें जैसे सामूहिक साक्षरता, आर्थिक सशक्तिकरण आदि निहित हैं। महिला शिक्षा की आवश्यकता भी इस तथ्य से पता चलती है उद्देश्यपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि और संतुष्टि गहरी आत्म–जागरूकता और समझ से सुनिश्चित होती है जिसे केवल प्रभावी और कार्यात्मक शिक्षा और मार्गदर्शन और परामर्श के प्रावधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह देखा गया है कि इससे महिला सशक्तीकरण की गारंटी मिलने की संभावना है, जो अपनी स्थिति में सुधार के लिए महिलाओं के संघर्ष पर आधारित है। सुझाया गया सशक्तिकरण ऐसा है जिसमें शक्ति संबंधों को चुनौती देने और शक्ति के स्रोत पर व्यापक नियंत्रण हासिल करने की प्रक्रिया शामिल है। हालाँकि, महिलाओं को औपचारिक और कार्यात्मक शिक्षा तक उचित पहुंच के प्रावधान के बिना इसे हासिल नहीं किया जा सकता है। यह इस आधार पर है कि शिक्षा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तन का एक व्यवहार्य साधन माना गया है। निम्नलिखित कारणों से महिलाओं के लिए औपचारिक और कार्यात्मक शिक्षा का प्रावधान आवश्यक है

महिला शिक्षा का ऐतिहासिक विकास

भारतीय महिलाओं के पर्दे के पीछे तीन प्रामाणिक काल – अप्रचलित, मध्यकालीन और वर्तमान – पहचाने जा सकते हैं। लगभग 1757 से 1947 तक, या ष्अभी सीमाष् तक, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने भारत पर शासन किया। इस अवसर के दौरान पुरुषों की तैयारी को आधुनिक तरीके से बढ़ावा देने की नींव रखी गई; हालाँकि, महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए बहुत कम काम किया गया। अंग्रेज़ सरकार ने 1858 में संघ की तत्काल जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देश की महिलाओं की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया।

केवल 13 युवतियों के साथ, सावित्रीबाई फुले ने 1847 में मुख्य युवा महिला विद्यालय खोला। उन्होंने व्यक्तिगत हितों और जातिवादी तत्वों के शक्तिशाली क्षेत्रों को हराया, जिन्होंने स्वीकार किया कि महिलाओं को घर की चार दीवारों तक ही सीमित रहना चाहिए। जीवन में कोई स्थान या अधिकार नहीं, 1852 में अलग–थलग छोटे बच्चों के लिए एक कठोर स्कूल शुरू करने के लिए। महिलाओं की शिक्षा में सुधार के लिए, एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू यंग वूमेन स्कूल की स्थापना की और शिक्षक करू ने 1904 में पूना में एसएनडीटी महिला स्कूल की स्थापना की।

विस्तार के लिए दरवाजे दिए, उदाहरण के लिए, राधाकृष्णन आयोग या स्कूल तैयारी आयोग (1948)। कोठारी आयोग (1964–1964), एम. भक्तवत्सलम कानूनी प्रशासकों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, जो विशेष रूप से युवा महिलाओं की तैयारी और सार्वजनिक संगठन के लिए देश क्षेत्र में सार्वजनिक सहायता के कारणों की जांच कर रहे हैं, श्रीमती। कानूनी प्रशासकों के समूह का नेतृत्व करने वाली दुर्गाबाई देशमुख (1959), श्रीमती। हंसा मेहता कानूनी प्रशासकों के अग्रणी समूह (1962), ट्यूशन पर सार्वजनिक प्रक्रिया (1986), आंदोलन का कार्यक्रम (1986), ट्यूशन पर सार्वजनिक पद्धति पर उद्देश्य (1968), भारत में महिलाओं के साथ परिस्थिति पर बोर्ड की रिपोर्ट (1974) तैयारी की चुनौती (1985), ट्यूशन पर सार्वजनिक तकनीक (1986, आदि। इसके बावजूद, ओबीबी, डीपीईपी, एसएसए, एनएलएम, मौलिक तैयारी के आहार सहायता के सार्वजनिक कार्यक्रम (एनपीएनएसपीई) या (दोपहर की शुरुआत) जैसी कुछ योजनाएं या कार्य भोजन अनुभव), आरटीई अधिनियम 2009, और डेटा आयोग, आदि सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में जानते थे, यानी बुनियादी शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए और 6–14 साल के विकास स्तर तक बुनियादी मार्गदर्शन के सार्वभौमिकरण के स्थान को पूरा करने के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के सभी प्रयासों के कारण, महिलाएं वास्तव में कई क्षेत्रों में पुरुषों से पीछे रहती हैं, क्योंकि अधिकांश भारतीय महिलाएं अज्ञानता के कारण अनभिज्ञ हैं, इसलिए महिलाएं पुरुषों से अभिभूत आम जनता का धैर्य बन जाती हैं।

ग्रामीण विकास में उच्च शिक्षा

आम तौर पर, समुदायों को शिक्षित करने का मतलब स्कूलों का विकास करना और बच्चों और नेताओं को शिक्षित करना है ताकि ग्रामीण समुदाय एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का नेतृत्व कर सकें। ग्रामीण समुदायों में एक शिक्षा प्रणाली के पास ग्रामीण आबादी में क्षमता और ज्ञान का निर्माण करने का अवसर होता है, जिससे उन्हें अपने खेतों के बारे में सूचित निर्णय लेने और कृषि मामलों में नवाचार करने में मदद मिलती है। हमेशा, शिक्षा जनता को जानकारी से अवगत कराती है और जानकारी की गलत व्याख्या को रोकने में मदद करती है। इससे कई सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं, जैसे

नीतियों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, कर्तव्यों, सरकारी योजनाओं, कानून, उपलब्ध लाभों और सुरक्षा कानूनों को समझने की बेहतर क्षमता।

ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्रों को आबाद रखने में मदद करती है। दुनिया भर में, युवा लोग शिक्षा और रोजगार में बेहतर अवसरों के लिए शहरी स्थानों से शहरी क्षेत्रों की ओर जाते हैं। लेकिन बेहतर ग्रामीण शिक्षा उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए रखने की एक संभावित रणनीति है। हाल ही में यह बताया गया कि भारत की 69ः आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, जागरूकता और क्षमता पैदा करने, स्वतंत्रता बढ़ाने और लोगों और राष्ट्र के लिए समग्र मानव विकास में सुधार करने का एक सटीक उपकरण है।

किसी समाज, व्यवस्था और देश के विकास की प्रक्रिया में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। एक अच्छी तरह से समर्थित, आसानी से सुलभ शिक्षा प्रणाली लोगों को आर्थिक रूप से जागरूक बनाने और इस तरह उन्हें अपनी आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए एक कुशल आधार है। लोकतंत्र की सेवा में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी जानी चाहिए जो न केवल निर्णयों के खिलाफ सुरक्षा की मांग करती है बल्कि उन निर्णयों का हिस्सा बनने की भी मांग करती है जो समाज को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं।

ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामने चुनौतियाँ

इस पृष्ठभूमि में, ग्रामीण भारत यानी मुख्य रूप से गांवों में एक महिला के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को जानने के लिए एक शोध किया गया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की विभिन्न सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याओं को जानना है। ग्रामीण भारत में मौजूद समस्याओं की प्रमुख शिकार महिलाएं हैं। ग्रामीण भारतीय महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

1. शिक्षा तक पहुंच नहीं

एएसईआर रिपोर्ट 2014 के अनुसार, ग्रामीण भारत से 100 में से केवल 1 लड़की ही कॉलेजों तक पहुंच पाती है। इस तथ्य को देखते हुए यह संख्या चौंकाने वाली और निराशाजनक दोनों है कि महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। वे वास्तविक अर्थों में हमारे समाज की रीढ़ हैं, लेकिन ग्रामीण भारत में उनकी भूमिका देखभाल करने वालों और बच्चों के पालन–पोषण और शिक्षा के रूप में मानी जाती है। गाँवों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट मानसिकता के अनुसार उन्हें उनकी भूमिकाओं में

लाभ नहीं मिलता।

देश में महिलाओं की साक्षरता दर 39 प्रतिशत है जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 64 प्रतिशत है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए यह दर और भी कम, लगभग 25 प्रतिशत है। शिक्षा में लड़कियों की यह कम दर माता–पिता के इस विचार के कारण है कि शिक्षित लड़की अपनी भविष्य की भूमिकाओं, मुख्य रूप से गृहिणी और शायद कृषि श्रमिक के रूप में कोई रिटर्न नहीं लाती है। मुद्दा यह है कि लड़कियाँ खेती के काम में भाइयों की जगह लेती जा रही हैं और साथ ही घरेलू जिम्मेदारियाँ भी निभा रही हैं। बेटियों को स्कूल न भेजने का यह अहम कारण है। गैर–कामकाजी लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा केवल इसलिए घर पर रखा जाता है क्योंकि वे घरेलू ज़िम्मेदारी निभाती हैं। साथ ही, लड़कियों को स्कूल न भेजने का अगला बिंदु उनकी कौमार्य की रक्षा करना है। खासतौर पर तब जब स्कूल लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए सांप्रदायिक हों। इसके अलावा, यात्रा व्यय के साथ शिक्षा संस्थानों की लंबी दूरी लड़कियों के लिए बुनियादी शिक्षा के पैटर्न को बदलना असंभव बना देती है।

2. लिंग भेदभाव

लिंग भेदभाव भारत के कई गांवों में व्याप्त है, खासकर राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में। भारत में पितृसत्तात्मक समाज की प्रचलित मानसिकता के कारण लिंग भेदभाव का तात्पर्य पुरुषों को श्रेष्ठ स्थान देना है। लिंग भेदभाव के कारण, महिलाओं को उनके घरों तक ही सीमित रखा जाता है और उन्हें चुनाव, चर्चा, प्रमुख त्योहारों में भाग लेने आदि जैसी किसी भी गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है।

3. बाल विवाह

हालाँकि कानून के अनुसार भारत में बाल विवाह पूरी तरह से गैरकानूनी प्रथा है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, भारत में लगभग 47: महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। महिलाओं में प्रचलित अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण गांवों में यह समस्या गंभीर है। यह भी भारत में कभी न ख़त्म होने वाली परंपरा के रूप में जारी है।

4. उचित स्वच्छता का अभाव

आज ग्रामीण भारत में महिलाओं को बुनियादी स्वच्छता सुविधाएँ भी प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। वे खुले में शौच और उससे होने वाली बीमारियों के भी शिकार हैं। महिलाओं को

कभी–कभी सरकार द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित किया जाता है।

5. घरेलू हिंसा

ग्रामीण भारत में महिलाओं के साथ कभी–कभी इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि वे अपने घरों में हर दिन घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती हैं। पति–पत्नी की शराब की लत कभी–कभी स्थिति को और भी खराब कर देती है। उसके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है और उसका पालन–पोषण उसे अपने जीवनसाथी या ससुराल वालों से सवाल करने से रोकता है।

6. दहेज

महिलाओं को निम्न दर्जा दिया जाता है क्योंकि उन्हें माता–पिता के लिए बोझ माना जाता है। इसका मुख्य कारण दहेज प्रथा है जो भारत के ग्रामीण भागों में व्याप्त है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दहेज प्रथा शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की महिलाएं इस मुद्दे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित और सतर्क हैं, जो ग्रामीण भारतीय महिलाओं के मामले में नहीं है।

निष्कर्ष

भारत में स्कूल अधिकारियों का कार्य लड़कियों को वयस्क जीवन में निभायी जाने वाली तिहरी भूमिका के लिए तैयार करना है। पहला, एक खुशहाल घर के संस्थापक और निर्माता के रूप में, दूसरा, यदि परिस्थितियां मांग करती हैं तो सम्मानपूर्वक स्वतंत्र रूप से अपनी आजीविका कमाने में सक्षम होना और तीसरा, एक जिम्मेदार और प्रबुद्ध नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। भारतीय शिक्षा आयोग 1964–66 ने ठीक ही इस बात पर जोर दिया, ष्हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, घरों के सुधार और बच्चों के बचपन के सबसे प्रभावशाली वर्षों के दौरान उनके चरित्र को ढालने के लिए, लड़कियों की शिक्षा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है।ष लड़कों का" हालाँकि, लड़कियों की शिक्षा के प्रति जनता के रवैये में बदलाव से स्थिति में काफी सुधार आएगा। ग्रामीण महिलाएं विकास की प्रमुख एजेंट हैं। वे सतत विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तनों की सफलता के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। लेकिन ऋण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक सीमित पहुंच उनके सामने आने वाली कई चुनौतियों में से एक है। वैश्विक खाद्य एवं आर्थिक संकट तथा जलवायु परिवर्तन के कारण ये और भी बढ़ गए हैं। उन्हें सशक्त बनाना न केवल व्यक्तियों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों की भलाई के लिए, बल्कि समग्र आर्थिक उत्पादकता के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि

दुनिया भर में कृषि कार्यबल में महिलाओं की बड़ी उपस्थिति है।

सन्दर्भ

[1] अग्रवाल (1995), ष्टीचर एजुकेशन इन ए डेवलपिंग सोसाइटीष्, वाइक्स पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट। लिमिटेड, नई दिल्ली।

[2] बार्न और ड्रिबेन (1983), ष्स्कूल कैसे काम करते हैंष्? शिकागो विश्वविद्यालय प्रेस, यूएसए।

[3] बर्नार्ड (1972) ष्सीखने और सिखाने का मनोविज्ञानष् मैकग्रा हिल बुक कंपनी, न्यूयॉर्क

[4] चिउहान (2008), ष्एडवांस्ड एजुकेशनल साइकोलॉजीष् विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

[5] गॉर्डन एच.बोवर (1990), ष्साइकोलॉजी ऑफ़ लर्निंग एंड मोटिवेशन,ष् स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।

[6] रिचर्ड लौगी (2007), श्पीडीएपी के साथ युवा बच्चों को पढ़ानाश्, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली

[7] शर्मा (1997), ष्सीखने और सिखाने के बुनियादी सिद्धांतष् मुद्रित पुस्तक एन्क्लेव–जयपुर, भारत

[8] बुर्जुआ (2012), पोस्ट–सेकेंडरी शिक्षा और उदार कला स्नातक डिग्री में नामांकित ग्रामीण महिलाएंष् कैनेडियन जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन वॉल्यूम 42 नंबर 3 पी.नंबर 145–169।

[9] कर्टिस और डेविड (2011), ष्ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में तृतीयक शिक्षा। क्या वीईटी ग्रामीण ऑस्ट्रेलिया में उच्च शिक्षा के लिए एक विकल्प है, (या) एक मार्ग है, खंड 21 नंबर 2 पी.नंबर 19–35

[10] गर्वसोनी एट अल (2013), क्षेत्रीय और ग्रामीण ऑस्ट्रेलियाई जर्नल ऑफ एडल्ट लर्निंग में महिलाओं के लिए एक मार्ग के रूप में मानविकी शिक्षा, वॉल्यूम.53 नंबर 2 पी.नंबर 253–2789।

[11] जॉनसन एट अल (2007), तंजानिया में उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच; आयोवा विश्वविद्यालय का एक गुणात्मक अध्ययन खंड 40 संख्या 34 पी.संख्या 239।

[12] रेन और क्रिस्टन (2012), ष्अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में महिला उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन एंड एजुकेशनल प्लानिंग वॉल्यूम 64, नंबर 2 पी.नं.

177–191।

[13] जुओक्सु एट अल(2010), ग्रामीण और शहरी चीन में उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच का एक अध्ययन। विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विश्लेषणश्श चीनी शिक्षा और समाज खंड 43 नंबर 4 पी.नं.32–40।

[14] बीट्टी, टी.एस., जावलकर, पी., गैफोस, एम., हेइज़, एल., मोसेस, एस., और प्रकाश, आर. (2019)। भारत में ग्रामीण किशोरियों के बीच बाल विवाह और माध्यमिक विद्यालय समापन में धर्मनिरपेक्ष परिवर्तन। जर्नल ऑफ़ ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट्स, 3.

[15] बिस्वास, एस. (2023)। कर्नाटक में भाग्यलक्ष्मी योजनारू राशि, आवेदन कैसे करें, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ। क्लीयरटैक्स।

[16] बटलर, जे. (2011)। बॉडीज़ दैट मैटररू ऑन द डिस्कर्सिव लिमिट्स ऑफ़ सेक्स। रूटलेज।

[17] कनाथंडा, एम. (2017)। कर्नाटक सभी लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देगारू बेंगलुरु समाचार। द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया।

[18] केंडल, एल. (2018)। भारतरू क्या कर्नाटक राज्य की लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा उतनी प्रगतिशील है जितनी दिखती है? अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय.

[19] कुंडू, पी. और भूटा, ए. (2021)। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा का सरकारी वित्तपोषणरू राजस्थान का एक केस स्टडी। बजट और शासन जवाबदेही केंद्र।

[20] मजूमदार, आर., और चौधरी, ए. (2022)। भारत के कार्यबल से महिलाएं गायब होने से खरबों का नुकसान! द इकोनॉमिक टाइम्स।

[21] नदाफ, बी. (2019)। कर्नाटक राज्य में लड़कियों की प्राथमिक शिक्षारू एक अनुभवजन्य अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज़, 6(2), 823–831।

[22] पाटिल, आर. (2018)। कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में ये शौचालय लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने से रोक रहे हैं। एडेक्स लाइव।

[23] रक्षित, डी. (2021)। मासिक धर्म वाले छात्रों को शिक्षा नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि स्कूलों में पैड

की कमी हैरू कर्नाटक उच्च न्यायालय। स्वैडल.

[24] रामनाइक, एस., कोलंबियन, एम., प्रकाश, आर., हॉवर्ड–मेरिल, एल., थलिंजा, आर., जावलकर, पी., मूर्ति, एस., सिसलाघी, बी., बीट्टी, टी., इसाक , एस., मोसेस, एस., हेइज़, एल., और भट्टाचार्जी, पी. (2018)। किशोर लड़कियों की माध्यमिक विद्यालय अवधारण और ड्रॉपआउट के संदर्भ में शिक्षा, गरीबी और शुद्धताष्रू कर्नाटक, दक्षिणी भारत से एक गुणात्मक अध्ययन। प्लस वन, 3(9).

[25] साहू, एस. (2016)। भारत में लड़कियों की शिक्षारू स्थिति और चुनौतियाँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेज, 6(7), 130–141।

[26] भारत की शाही विधान परिषद. (1929) बाल विवाह निरोधक अधिनियम. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।